मुख्य सचिव के आदेश/समयबद्ध

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–5–ई.एम./2010–का–4–2010
लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2010

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

शासनादेश संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010, दिनांक 3.3.2010, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12.3.2010 एवं दिनांक 25.8.2010 में दिये गये सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभागीय संगठनों के साथ उनकी मांगों/समस्याओं के संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा की जा रही बैठकों की सूचना समय से कार्मिक विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिससे समेकित सूचना मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है।

2. उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विभागीय संगठनों के साथ प्रमुख सचिव एवं सचिवगण के द्वारा की गयीं मासिक बैठकों की सूचना नियमित रूप से मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अतः आपसे अनुरोध कि निम्न प्रपत्र पर, विभागीय संगठनों के साथ की गयी बैठकों की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रत्येक स्थिति में कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

प्रपत्र

माह 2010 की सूचना

विभाग का नाम	बैठक सम्पन्न कराये जाने की तिथि	अभ्युक्ति

विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर.....